संख्या– 2070 / 68–5–2019

प्रेषक

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 17 दिसम्बर, 2019

विषयः– **बेसिक शिक्षा विभाग में 01 जुलाई की तिथि को 5 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले छात्र–छात्राओं को प्रवेश कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0– शि0नि0(बे0) / 54161–62 / 2019–20, दिनांक 30.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ऐसे बालक जो उस शैक्षिक सत्र के माह अक्टूबर तक निर्धारित आयु पूर्ण न करने के कारण प्रवेश से वंचित हो रहे हैं, उन्हें निर्धारित आयु में शिथिलता प्रदान करते हुए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में ही प्रवेश की सुविधा अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त ऐसे बालक जो उस शैक्षिक सत्र के दिनांक 31 अक्टूबर तक निर्धारित आयु पूर्ण न करने के कारण प्रवेश से वंचित हो रहे हैं, उन्हें निर्धारित आयु में शिथिलता प्रदान करते हुए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में ही प्रवेश की सुविधा अनुमन्य किये जाने की अनुमति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,
17/12/19
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
2– राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।
3– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
4– निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
5– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
6– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उ0प्र0।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव ।

Raj-G.O.-1510.doc